Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2024: 8.058,
https://www.srjis.com/issues_data/240
PEER REVIEWED, REFEREED & INDEXED JOURNAL, OCT-NOV 2024, VOL-12/66

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एक प्रयासः मातृभाषा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को सर्वसुलभ बनाना।

डॉ0 अवध बिहारी लाल[1], डॉ0 श्याम[2] & डॉ0 अमित कुमार[3]

[1] असिस्टेंट प्रोफेसर(बी0एड0 विभाग), मदन मोहान मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपार रानी, देवरिया।

Email-avadhbihari85@gmail.com

[2] असिस्टेंट प्रोफेसर (बी0 एड0 विभाग), मदन मोहान मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपार रानी, देवरिया।

[3] असिस्टेंट प्रोफेसर (बी0 एड0 विभाग), मदन मोहान मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपार रानी, देवरिया।

Paper Received On: 21 October 2024

Peer Reviewed On: 25 November 2024

Published On: 01 December 2024

Abstract

*बहुभाषी भारत देश में सनातन से वर्तमान तक ज्ञान की विभिन्न परंपराओं का उद्भव व विकास हुआ, जो न केवल परलौकिक अपितु लौकिक जीवन को भी उन्नत बनाने के लिए सर्वोत्तम हैं, किन्तु भिन्न–भिन्न भाषाओं में संरक्षित व प्रचलित इस सुदृढ़ ज्ञान का लाभ सभी भारतवासियों को भाषायी समस्या के कारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वे अपनी मातृभाषा से इतर भाषा में उपलब्ध ज्ञान के भण्डर को ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करते हैं जिससे उनमें इसके प्रति अरूचि उत्पन्न हो जाती है। इस दीर्घकालीन समस्या को दूर करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं, जिन्हें समझने का प्रयास इस आलेख में किया गया है। विद्यालयी शिक्षा में मातृभाषा की महत्ता को विभिन्न शोधों के आधार पर शिक्षाविदों व मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो तो बच्चे के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रोत्तर काल के शिक्षा संबंधी सभी दस्तावेजों में, विद्यालयी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने पर बल दिया गया है। युनेस्को के आधार पत्र (2003) के अनुसार आरंभिक शिक्षण के लिए मातृभाषा अत्यंत आवश्यक है और इसे जहां तक बरकार रखा जा सके रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2005) में इस बात को पूरजोर तरीके से कहा गया है कि 'बच्चे रटने के बजाए समझकर पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ें'। शिक्षा उनके लिए बोझ न बनकर आनंददायी अनुभव बने। शिक्षा के अधिकार (2009), के कानून ने बच्चे की मातृभाषा के महत्व को समझते हुए शिक्षा के औपनिवेशक इतिहास की विरासत से उत्पन्न मानसिक और सामाजिक जकड़न को दूर करने की कोषिष की है। जहां फ्रांस, चीन, रूस, जापान आदि अपनी भाषा में बोलना पसंद करते हैं, वहीं हम भारतीय अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चहते हैं। इस हीन भावना को दूर करने की दिशा में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020** में कदम उठाये गए हैं, जिसमें कम से कम कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा जाना, विज्ञान सहित उच्चतर गुणवत्ता वाली पुस्तकें मातृभाषा में उपलब्ध कराना, शिक्षक–छात्र संवाद यथा संभव मातृभाषा में हो, अन्यथा की स्थिति में द्विभाषी शिक्षण–अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी एप्रोच का उपयोग किये जाने की बात कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, मातृभाषा को विद्यालयी शिक्षा के माध्यम के रूप में गरिमापूर्ण तरीके से स्थापित करने की दिशा में एक सकरात्मक पहल है। जिसके माध्यम से सीखने के रास्ते में आने वाले भाषायी अवरोध को दूर कर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध भारतीय ज्ञान भण्डार को सभी भारतवासियों की पहुंच में लाया जा सकेगा।*

संकेतक शब्दः– *भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा, विद्यालयी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020।*

भारतीय ज्ञान परंपरा

सनातन काल से अब तक भारत भूमि पर खोजे गए ज्ञान ने दुनिया को सुख और शांति के साथ जीने का रास्ता दिखाया। भारतीय ज्ञान की विभन्न परंपराओं का उद्भव एवं विकास वैदिक काल, उत्तार वैदिक काल, जैन एवं बौद्ध कालीन तथा विभिन्न पंथ एवं संप्रदायों के द्वारा हुआ है। विभिन्न विचारधाराओं यथा आस्तिकवाद से नास्तिकवाद, सगुण से निर्गुण विचाराधारा एवं अध्यात्मवाद से चार्वाक दर्शन तक विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं ने समय–समय पर

Copyright@2024 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

समाज को रास्ता दिखाने का कार्य किया। इसी ज्ञान परंपरा को आगे ले जाते हुए शंकराचार्य, कबीदास, संत रविदास, संत गुरूनानक, चैतन्य प्रभु आदि महापुरूषों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास कर समाज को एक–सूत्र में बांधने के लिए शिक्षाएं देने का कार्य किया। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वरहमिहिर, चाणक्य, पतंजलि जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे गणित, खगोल, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, धातु विज्ञान, और शल्य चिकित्सा, नौकायान निर्माण, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण और योग, ललित कला, दिशा ज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रमाणिक रूप से मौलिक योगदान किया। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि यह ज्ञान समस्त देशवासियों तक पहुंच सके, इस हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। यह ज्ञान न केवल लौकिक जीवन को कुशलतापूर्वक जीना सिखाता है अपितु परलौकिक जीवन के लिए भी तैयार होने का रास्ता दिखाता है। बहुभाषा में फैली भारतीय ज्ञान की विभिन्न परंपराओं से समस्त देशवासियों को रूबरू कराने के लिए आवश्यक है कि यह ज्ञान, उनकी मातृभाष में उपलब्ध हो सके।

मातृभाषा

बच्चा जब सुनना प्रारंभ करता है तो वह सर्वप्रथम अपनी माँ के संपर्क में आकर उसके मुख से निकले शब्दों को सीखता है और शनैः शनैः उनका अनुकरण करने लगता है। इस प्रकार वह प्राथमिक रूप से अपनी माँ के द्वारा उच्चारित भाषा को सहजता से सीख जाता है, जिसे मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। बच्चा अपने परिवार के सदस्यों को हाव–भाव व्यक्त करते देखते हुए उन जैसी अभिव्यक्ति करना सीख लेता है। घर से बाहर निकलकर वह आस–पड़ोस के हम उम्र के बच्चों एवं समुदाय के सदस्यों के मध्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने लगता है जो कि उसकी अपनी मातृभाषा में होते हैं। किंतु भाषा वैज्ञानिक इसे **बोली** कहते हैं, माँ तथा आस–पड़ोस के संपर्क से सीखी गई भाषा को घर की बोली कहा जाता है। इस बोली का परिमार्जित रूप जोकि विद्यालय की शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, को मातृभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। प्रो0 आर0बी0 लाल के अनुसार '' भाषा वैज्ञानिक कई समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को विभाषा और कई समान विभाषाओं की प्रतिनिधि विभाषा को **भाषा** कहते हैं। यही भाषा यथा क्षेत्रों के व्यक्तियों की मातृभाषा मानी जाती है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी मातृभाषा से तात्पर्य इसी भाषा से होता है''। बच्चे की अधिगम प्रक्रिया मातृभाषा में प्रारंभ होती है जो कि उसके जीवन को आधार प्रदान कर उसका भविष्य तय करती है। भारत एक बहुभाषिक देश है, जहां प्रत्येक राज्य की अपनी मातृभाषा है जिसमें वह अपने विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था करता है।

विद्यालयी शिक्षा का माध्यम

विद्यालय औपचारिक शिक्षा के माध्यम हैं जहां नियोजित तरीके से समाज एवं देश की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य किया जाता है। विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है, जहां बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश लेते हैं। यदि विद्यालय में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा से भिन्न होगा तो बच्चों को कुछ भी सीखने में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा व्यय करनी होगी। कुछ स्थितियों में इस कारण उनमें शिक्षा ग्रहण करने में अरूचि भी उत्पन्न हो सकती है, जो अपव्यय व अवरोधन का कारण बन सकती है। अतः बच्चों को सहज भाव से कुछ भी सिखाने के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना सर्वदा लाभकारी हो सकता है। मातृभाषा की अहमियत समझते हुए भी आज तक औपनिवेशिक मानसिकता से ऊपर न उठ पाने के कारण हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न शोधों के माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में

सीखने में रुचि लेते हैं तथा उनकी ऊर्जा भी बचती है। गुरूदेव रविंद्रनाथ टैगोर व महत्मा गांधी जी का मानना था कि बच्चे की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।

ज्ञान–विज्ञान और भाषा

संसार में विभिन्न विद्वानों द्वारा खोजे गए विविध क्षेत्रों के ज्ञान एवं विज्ञान को विभिन्न भाषाओं में लिपिबद्ध किया गया है, जिसे सीखकर व्यक्ति का लौकिक एवं परलौकिक जीवन सफल हो सकता है। इस उपयोगी ज्ञान–विज्ञान को प्राप्त करने में भाषाई समस्या उत्पन्न होती है। सभी व्यक्तियों के लिए इस ज्ञान–विज्ञान से संबंधित भाषाओं को सीखना सरल नहीं है किंतु यदि यह उन्हें उनकी मातृभाषा में उपलब्ध हो तो वे सहजता व सरलता से इसे सीखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के मुकाबले में ज्ञान–विज्ञान सीखने का आसान माध्यम होती है। यदि बच्चों को भारतीय ज्ञान से अवगत करना है तो हमें यह उनकी मातृभाषा में उपलब्ध करना होगा जिससे वह, इसे न केवल रूचिपूर्ण तरीके से सीख सकेंगे अपितु अच्छे संवाहक भी बन सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में मातृभाषा में शिक्षा पर बल

विभिन्न शोधों के आधार पर यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा/घर की भाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। इसलिए यथासंभव कक्षा 5 या 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/घर की भाषा/क्षेत्रीय भाषा, रखने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बल दिया गया है। सार्वजनिक व निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों को इसका अनुपालन करने की बात की गई है।

मातृभाषा में पाठ्य पुस्तकें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/घर की भाषा/क्षेत्रीय भाषा रखने पर बल दिया है, जिसके लिए इन भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने की बात की गई है। यहाँ इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है कि यदि विद्यालय में शिक्षण के माध्यम व बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा के मध्य कोई अंतराल है तो उसे समाप्त करने के लिए यथाशीघ्र प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में जहाँ बच्चों की घेरेलू भाषा में पाठ्य–सामग्री उपलब्ध नहीं है, किन्तु यदि शिक्षकों और छात्रों के मध्य संवाद की भाषा संभव हो, तो वहाँ शिक्षा का माध्यम घर की भाषा बनी रहेगी।

शिक्षण–अधिगम की द्विभाषी एप्रोच

ऐसे विद्यार्थी जिनके घर की भाषा/मातृभाषा, शिक्षा के माध्यम से भिन्न है उनके लिए द्विभाषी शिक्षण–अधिगम सामग्री सहित शिक्षकों को द्विभाषी एप्रोच का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। यहां इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सभी विद्यार्थियों को सभी भाषाएं उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाई जाएंगी क्योंकि एक भाषा को भली–भांति सीखने व सिखाने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं होती है। विज्ञान और गणित विषय के अधिगम हेतु विद्यार्थियों के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण–अधिगम सामग्री को तैयार किए जाने पर बल दिया गया है। जिससे इन दोनों विषयों पर विद्यार्थियों के सोचने–समझने व बोलने के लिए अपनी मातृभाषा/घर की भाषा एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में सक्षम बन सकें।

बहुभाषिकता पर बल

बहुभाषाओं में संचित, बहुक्षेत्रीय ज्ञान से रूवरू होने के लिए तथा अंतरभाषाई संवाद हेतु यह आवश्यक है कि हमें अपनी भाषा से भिन्न भाषाओं की समझ होनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में हम इस सबसे वंचित रह सकते हैं, जो हमारे ज्ञान व सामाजिक संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बच्चे को अधिकतम भाषाएं सिखाने पर बल दिया गया है। बहुभाषाएं सीखने–सिखाने के लिए बच्चों की सर्वाधिक

उपयुक्त उम्र 2 से 8 वर्ष के बीच मानी जाती है। अतः फाउंडेशन स्टेज के प्रारंभ से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में एक्सपोजर देने की बात की गई है। इस हेतु निम्न उपाय किए जाएंगे–

- सभी भाषाओं को एक मनोरंजक एवं संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा।
- फाउंडेशन स्टेज में शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया मातृभाषा में संचालित होगी।
- ग्रेड–3 एवं अग्रेतर की कक्षाओं में अन्य भाषाएं सीखने व सिखाने के लिए कौशलों का विकास किया जाएगा।
- केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों पर निवेश किया जाएगा।
- बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए भारत के विभिन्न राज्य अपने क्षेत्र में त्रि–भाषा सूत्र को लागू करेंगे, जिसके लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। इस हेतु राज्य द्वि–पक्षीय समझौते कर सकते हैं।
- भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा जिससे विभिन्न भाषाओं को सरलता व रूचिपूर्ण तरीके से सीखा जा सके।

विकसित देशों में शिक्षा का माध्यम

दुनिया भर के तमाम विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि वे अपने बच्चों को अपनी भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं में शिक्षित होने पर बल देते हैं, जिसका देश को सामाजिक, शैक्षिक व तकनीकी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने में लाभ प्राप्त होता है। दुनिया की समस्त भाषाओं में भारतीय भाषाएं सबसे अधिक समृद्ध, सबसे अधिक सुन्दर, वैज्ञानिक व सर्वाधिक अभिव्यंजक भाषाओं में से हैं। राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकीकरण की दृष्टि से सभी भारतीय युवाओं को अपने देश की विशाल और समृद्ध भंडार वाली भाषाओं के साहित्य के खजाने के बारे में जागरूक होने की जारूरत है।

निष्कर्ष

संसार का समूचा ज्ञान किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। ज्ञान न केवल विदेशी भाषाओं में अपितु भारतीय मनीषियों के द्वारा खोजा गया लौकिक तथा परलौकिक ज्ञान, विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसे एक अधिगमकर्ता को अपनी भाषा से भिन्न भाषा में होने के कारण सीखने में समस्या का सामना कऱना पड़ता है या वे अरूचि के कारण सीखने का प्रयास न करके अपने जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। यदि इस वंचना से हमें अपनी भावी पीढ़ी को बचाना है तो देश या विदेश में खोजे गए ज्ञान को उन्हें, उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संसार के समस्त ज्ञान को बच्चों को, उनकी अपनी मातृभाषा में उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है, जिसके लिए पाठ्य–पुस्तकों का मातृभाषा में निर्माण, स्थानीय/मातृभाषा की समझ रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति, द्विभाषी एप्रोच का शिक्षण में उपयोग, विभिन्न राज्यों द्वारा शिक्षकों का आदान–प्रदान, बच्चों में बहुभाषी समझ विकसित करने के लिए त्रि–भाषा सूत्र का प्रयोग करना आदि विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा यह नीति देश के समस्त बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा के माध्यम से रूचिपूर्ण माहौल में शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को संचालित करने पर बल देती है। जिससे कि सभी बच्चों को देश की गौरवपूर्ण विरासत से सहजता व सरलता से परिचित कराया जा सके तथा वे अपने देश की संस्कृति के संरक्षक व संवाहक बनकर देश को ऊँचाईयों तक ले जा सकें। यह सब तभी संभव हो सकता है जब अन्य विकसित देशों के समान हम अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा में ज्ञान–विज्ञान सीखने–सीखाने के अवसर उपलब्ध करा सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है जिसका अनुसरण कर हम निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

अग्रवाल, जे.सी. (2008). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

एनसीईआरटी. (2005) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा–2005. नई दिल्ली, एनसीईआरटी.

काण्डपाल, एस0के0 (2019). भारतीय संविधान में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के संरक्षण सम्बन्धी राज्यों के अधिकार, एस.एच. आई. एस.अर.आर.जे., वो0 2, इश्यू 1.

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://shisrrj.com/paper/SHISRRJ192130.pdf&ved=2ahUKEwi91fP1-IjtAhWszTgGHX-ZBVsQFjAEegQIBhAB&usg=AOvVaw26_kB3L_kjm9R-_AC37Q46

गुप्ता, एस.पी. एवं गुप्ता, अलका (2012). भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन।

दुबे, आर.जे. (2011). शिक्षा का अधिकार, शक्ति पब्लिषर्स एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्स, दिल्ली।

भारतीय संविधान (1950). भारत सरकार, नई दिल्ली

https://www.india.gov.in/hi/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text#preamble

राय, हरिकेष (2003). हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप, यूनीवर्सिटी ऑफ कलकत्ता.

http://hd1.handle.net/10603/164483

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। https://www.education.gov.in/hi

रिजवी, एन. (2016). इम्पलीमेनटेषन एण्ड चैलेंज ऑफ थ्री लैंग्वैज फार्मूला, दि लिटरेरी हेराल्ड,वोल0 (2), इश्यू(1)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग. (2016). पढ़े भारत बढ़े भारत, नई दिल्लीः मानव संसाधन विकास मंत्रालय.

सिंह भूपेन्द्र एवं मिश्रा पतंजलि. (अक्टूवर, 2016). भाषा शिक्षण : विकास और प्रभाव, शिक्षा शोध मंथन, वो0 02, इश्यू न0 2.

बेब लिंकः–

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/nf2005-english.pdf&ved=2ahUKEwjYlsCjq4LtAhWsxzgGHTXxCgwQFjAjegQIBhAB&usg=AOvVaw2O3k4NRDGqVO5JsATG3QmP

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf&ved=2ahUKEwiBo4OmsoLtAhUnwjgGHTL_B_cQFjADegQIARAB&usg=AOvVaw1LvoECphPp4d_4St71vV-v

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/47100/1/Unit-3.pdf&ved=2ahUKEwiz3tHIvYLtAhWlwjgGHVnzAz4QFjAMegQICBAB&usg=AOvVaw2M60_4raJEqAwF_rNUJIiF

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rajbhasha.gov.in/sites/default/files/cpol3rdreporthin.pdf&ved=2ahUKEwiz3tHIvYLtAhWlwjgGHVnzAz4QFjANegQIEhAB&usg=AOvVaw0nPewr4UTaxUwpWVX3eP94

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://14.139.116.20:8080/jspui/bitstream/10603/86442/6/06_chapter%25201.pdf&ved=2ahUKEwiz3tHIvYLtAhWlwjgGHVnzAz4QFjAAegQIDhAB&usg=AOvVaw2JvCSpwcMUJj0XI6sLHquA

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sachkahoon.com/tribhasha-sutra/&ved=2ahUKEwiz3tHIvYLtAhWlwjgGHVnzAz4QFjALegQIExAB&usg=AOvVaw2Gxq7H2w-O1PLdM6l5x8Yp